

न्यायालय:- अजय कुमार खाखा , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश (कार्य विभाजन)//

क्रमांक- क्यू./मु.न्या. मजि./2024

बलौदाबाजार, दिनांक 01.08.2024

मैं अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार, छ०ग० दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधान के तहत माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार के अधीन तथा नियंत्रण में रहते हुए, राजस्व/सिविल जिला बलौदाबाजार में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा एवं कसडोल के मध्य, दाण्डिक प्रकरणों एवं संबंधित कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूं, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बलौदाबाजार, छ०ग० के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1.	अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना सिटी कोत० बलौदाबाजार 2. चौकी करहीबाजार	<p>1. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, चौकी करहीबाजार के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/प्राइवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, पुलिस चौकी करहीबाजार एवं थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अंतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>3. संपूर्ण बलौदाबाजार जिले से उत्पन्न क्षमाप्राप्त अभियुक्तों के मामले।</p> <p>4. नगरपालिका, बलौदाबाजार द्वारा म०प्र० नगरपालिका अधिनियम के तहत पेश सभी दाण्डिक मामलों का निराकरण करना।</p>

		<p>5. बलौदाबाजार मुख्यालय एवं चौकी करहीबाजार से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत, प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेनेका क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>6. बलौदाबाजार एवं चौकी करहीबाजार थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों को निराकरण करना।</p> <p>7. बलौदाबाजार थाना एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>8. बलौदाबाजार थाना एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>9. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत बलौदाबाजार तहसील से उत्पन्न समस्त मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिसके संज्ञान का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>10. बलौदाबाजार एवं चौकी करहीबाजार क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>11. बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
--	--	--

			<p>12. माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 1576/तीन-6-6/ 2001, बिलासपुर दिनांक 13 मार्च, 2007 के अनुसार राजस्व जिला बलौदाबाजार से उत्पन्न (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, (2) विदेशी व्यापार (विकास और विनिमय) अधिनियम 1992, (3) कम्पनी अधिनियम 1956, (4) धनकर अधिनियम 1957, (5) दानकर अधिनियम 1958, (6) आयकर अधिनियम 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम, (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, (9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं (11) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>13. जिले के समस्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280-ए एवं The Black Money (Undisclosed Foreign Income & Asset) and Imposition of Tax Act की धारा 84 के तहत पेश प्रकरण।</p> <p>14. जिले के समस्त खारिजी प्रकरण एवं आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, माननीय उच्च न्यायालय, छ०ग० व माननीय सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार द्वारा समय-समय पर, सौंपे गये समस्त मामलों/कार्यों का निराकरण करना।</p>
2.	श्रीमती मंजूलता सिन्हा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना लवन	1. थाना लवन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर,

		<p>जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>2. थाना लवन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबकारी अधिनियम से संबंधित आंबंटित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>4. थाना लवन से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>5. थाना लवन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. थाना लवन क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>7. थाना लवन क्षेत्र से उद्धृत खात्मा प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्धृत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण</p>
--	--	---

			करना।
3.	कु० सारिका नंदे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	1. थाना पलारी 2. थाना गिधपुरी	<p>1. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, चौकी करहीबाजार, आरक्षी केन्द्र पलारी, थाना गिधपुरी, थाना लवन के क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत होने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 509 के पूर्व में संस्थित तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 74, 75, 76, 77, 78, 79 से संबंधित समस्त रिमाण्ड सहित इस धारा के अधीन के प्रकरणों की सुनवाई सहित आरोप पत्र एवं खात्मा स्वीकार करने एवं विचारण की अधिकारिता।</p> <p>2. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, पलारी, गिधपुरी, लवन तथा चौकी करहीबाजार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरणों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही।</p> <p>3. थाना पलारी एवं गिधपुरीके क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>4. थाना पलारी एवं गिधपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p>

			<p>6. थाना पलारी, गिधपुरी से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>7. थाना पलारी, गिधपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>8. थाना पलारी, गिधपुरी क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>9. थाना पलारी, गिधपुरी क्षेत्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>10. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>11. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
4.	श्री रोजमिन राजेश खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा, छ०ग०	थाना भाटापारा शहर	<p>1. थाना भाटापारा शहर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>2. भाटापारा शहर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने</p>

			<p>वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>4. भाटापारा शहर से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>5. भाटापारा शहर से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. थाना भाटापारा शहर क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
5.	अंकिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भाटापारा, छ०ग०	थाना भाटापारा ग्रामीण	<p>1. थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों</p>

		<p>को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>2. भाटापारा ग्रामीण से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आंबटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>4. थाना भाटापारा ग्रामीण से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>5. थाना भाटापारा ग्रामीण के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों</p>
--	--	---

			<p>का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
6.	<p>श्री बृजेश कुमार राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल, छ०ग०</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. थाना कसडोल 2. चौकी बया 3. थाना राजादेवरी 4. चौकी सोनाखान 5. थाना गिधौरी 6. चौकी गिरौधपुरी 	<ol style="list-style-type: none"> 1. थाना कसडोल, चौकी बया, थाना राजादेवरी, चौकी सोनाखान, थाना गिधौरी, चौकी गिरौधपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना/चौकी के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना कसडोल, चौकी बया, थाना राजादेवरी, चौकी सोनाखान, थाना गिधौरी, चौकी गिरौधपुरी से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 4. थाना कसडोल, चौकी बया, थाना राजादेवरी, चौकी सोनाखान, थाना गिधौरी, चौकी गिरौधपुरी से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों का निराकरण करना। 5. थाना कसडोल, चौकी बया, थाना राजादेवरी, चौकी सोनाखान, थाना गिधौरी,

			<p>चौकी गिरौदपुरी से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
7.	श्रीमती योगिता जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिममा, छ०ग०	<ol style="list-style-type: none"> 1. थाना सिमगा 2. थाना हथबंध 3. थाना सुहेला 	<ol style="list-style-type: none"> 1. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंध के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दाण्डिक/ प्राईवेट परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों को निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में, संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 2. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण करना जो, आबंटित थाना के क्षेत्रांतर्गत आते हैं, उन मामलों को छोड़कर, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो। 3. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंध से संबंधित समस्त विशेष अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, परन्तु

		<p>उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया हो।</p> <p>4. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद से संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. थाना सिमगा, सुहेला एवं हथबंद क्षेत्र से उत्पन्न समस्त निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना।</p> <p>7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत खात्मा प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मण्डी अधिनियम, पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p>
8.	कु० दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार, छ०ग०	<p>1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार द्वारा समय समय पर अंतरित और सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण।</p>

सही/-

(अजय कुमार खाखा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बलौदाबाजार (छ०ग०)

न्यायालय:- अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

//विविध आदेश//

क्रमांक-क्यू-1/मु.न्या. मजि./2024

बलौदाबाजार, दिनांक 01.08.2024

परिशिष्ट "ए"

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्री रोजमिन राजेश खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा	1. थाना सिमगा
2.	अंकिता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भाटापारा	1. थाना सुहेला 2. थाना हथबंध
2.	श्रीमती मंजूलता सिन्हा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार 2. चौकी करहीबाजार
3.	कु० सारिका नंदे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना कसडोल 2. चौकी सोनाखान 3. थाना गिधौरी 4. चौकी गिरौधपुरी
	कु० दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार	1. थाना राजादेवरी, 2. चौकी बया 3. थाना लवन
4.	श्री बृजेश कुमार राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसडोल	1. पलारी 2. गिधपुरी
5.	श्रीमती योगिता जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिमगा	1. भाटापारा शहर 2. भाटापारा ग्रामीण

नोट- पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से **परिशिष्ट "बी"** में उनके सन्मुख उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 164 द.प्र.सं. तथा बीएनएसएस की धारा 183 के तहत संस्वीकृतियां और कथन को अंकित किया जायेगा।

सही/-

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

न्यायालय:- अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार

जिला- बलौदाबाजार भाटापारा, छंगं

// विविध आदेश //

क्रमांक-क्यू-2/मु.न्या. मजि./2024

बलौदाबाजार, दिनांक 01.08.2024

परिशिष्ट "बी"

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० दीक्षा देशलहरे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
2.	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	श्री अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० दीक्षा देशलहरे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
3.	श्री रोजमिन राजेश खाखा जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
4.	श्री बृजेश कुमार राय जे०एम०एफ०सी० कसडोल, छंगं	श्री अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
5.	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	श्री अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छंगं	कु० दीक्षा देशलहरे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
6.	श्रीमती योगिता जांगड़े जे०एम०एफ०सी० सिमगा, छंगं	श्री रोजमिन राजेश खाखा जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
7.	अंकिता अग्रवाल जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	श्री रोजमिन राजेश खाखा जे०एम०एफ०सी० भाटापारा, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं
8.	कु० दीक्षा देशलहरे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	कु० सारिका नंदे जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	श्रीमती मंजूलता सिन्हा जे०एम०एफ०सी० बलौदाबाजार, छंगं	श्री अजय कुमार खाखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार, छंगं

टीप:-

1. परिशिष्ट "बी" के स्तंभ क्रमांक 5 में दर्शित न्यायिक अधिकारी की अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में जिले में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।
2. ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश में रहने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिमाण्ड आदि कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।

क्रमशः.....

3. अवकाश आवेदन पत्र प्रेषित करते समय उनके कार्य को देखने वाले संबंधित अधिकारी को संसूचित अवश्य किया जाये।
4. बलौदाबाजार और भाटापारा में अत्यावश्यक स्थिति को छोड़कर वहां पदस्थ मजिस्ट्रेट में से एक रिमाण्ड कार्य हेतु मुख्यालय/कार्यस्थल में उपस्थित रहेंगे।

सही/-

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को अनुमोदन एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित;
3. माननीय प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
4. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
5. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
6. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
7. श्री/श्रीमती/सुश्री/..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, बलौदाबाजार/कसडोल/ सिमगा/भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित;
8. श्रीमान् कलेक्टर, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त विभागों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
9. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त थाना/चौकी के प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
10. वन मण्डलाधिकारी, जिला बलौदाबाजार को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
11. मण्डल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर, छ०ग० राज्य वन विकास निगम को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
12. जिला आबकारी अधिकारी की ओर सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित;
13. श्रीमान् अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / कसडोल, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
14. जिला अभियोजन अधिकारी, बलौदाबाजार, छ०ग० को जिला बलौदाबाजार में कार्यरत समस्त अभियोजन अधिकारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
15. रजिस्ट्रार, सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित।

सही/-

(अजय कुमार खाखा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बलौदाबाजार (छ०ग०)